

राजस्थान सरकार
वित्त (GF&AR) विभाग

क्रमांक: प.१ (L) वित्त / GF&AR / 2007

जयपुर, दिनांक: 21.4.2010
परिपत्र संख्या: 7/2010

समस्त राजकीय विभाग,
समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रम / निगम / कम्पनी
सहकारी सोसायटी,
नगर पालिका / पंचायती राज संस्थान,
स्थानीय प्राधिकारी / कानूनी निकाय

विषय:- कय किये जाने वाले माल पर विक्रय कर की कटौती बाबत।

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010 के द्वारा राजस्थान मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 में धारा 20 (2) (ए) जोड़ी गई है जिसके द्वारा यह प्रावधान किये गये हैं कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी कम्पनी या अपनी अंश पूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय रखने वाली सहकारी सोसायटी या जिला एवं खण्ड स्तर की पंचायत राज संस्था, राज्य विधानमण्डल की किसी विधि द्वारा या अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी अथवा कानूनी निकाय द्वारा माल कय करने पर उपरोक्त माल पर देय शुद्ध कर का भुगतान सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा सीधे वाणिज्यिक कर विभाग को किया जायेगा एवं माल की कीमत एवं माल में व्यवसायी द्वारा क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का भुगतान सम्बन्धित सप्लायर को किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था के तहत व्यवसायी द्वारा राजकीय विभाग को माल सप्लाय करते समय जो बिल काटा जायेगा उसमें निम्न विवरण होंगे:-

माल का विवरण	मात्रा	मूल्य	कुल राशि
माल का मूल्य			X
VAT @			Y
कुल देय राशि			X+Y
Input Tax Credit Claimed (ITC)			Z
Net Tax Payable			Y-Z

सप्लायर से उपरोक्त बिल प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी विभाग / संस्था द्वारा कुल भुगतान योग्य राशि X+Y में से Net भुगतान योग्य कर (Y-Z) का भुगतान सीधे वाणिज्यिक कर विभाग को किया जायेगा एवं शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित सप्लायर को किया जायेगा।


सम्बन्धित सरकारी विभाग/संस्था का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्तानुसार सप्लायर के बिल में से काटी गई कर की राशि का भुगतान राजकोष में चालान VAT-37 में भरकर जमा करावे। यह कार्य सम्बन्धित माह की समाप्ति के अधिकतम 15 दिवस के भीतर करा लिया जाये। चालान VAT-37 का प्रारूप वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर भी उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु एक प्रति संलग्न है।

सम्बन्धित सप्लायर को उसे देय राशि में से उपरोक्त कर की कटौती का प्रमाण पत्र VAT-41A में राजकीय विभाग/संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र VAT-41A वाणिज्यिक कर विभाग के सम्बन्धित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

माह की समाप्ति के बाद एक माह में सम्बन्धित विभाग/संस्था का यह दायित्व है कि वह पिछले माह में जारी किये गये समस्त VAT-41A का इकजाई लेखा फार्म VAT-40A में तैयार कर VAT-41A की द्वितीय प्रति के साथ वाणिज्यिक कर विभाग के सम्बन्धित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।

समस्त विभागों/राजकीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/नगरीय निकायों एवं जिला स्तर के ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। यह व्यवस्था ग्राम पंचायतों के लिये लागू नहीं होगी।

भवदीय,


(सी.के. मैथ्यू)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक:एफ.20(31)ग्रावि/युप-3/नरेगा/कय पॉलिसी/10-11 जयपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2010
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (समस्त)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त)।
3. परियोजना अधिकारी, लेखा, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद (समस्त)।
4. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी नरेगा (समस्त)।
5. मुख्यालय, ईजीएस के समस्त अधिकारी।
6. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस, मुख्यालय को इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

Form VAT - 37

[See Rule 39(1)]

CHALLAN

(For deposit of tax/demand/other sum)

Government of Rajasthan

Commercial Taxes Department

Circle 0040 - VAT RECEIPTS
Ward No. 102 - Receipts under the VAT Act (a)
Registration No. (TIN) 800 - Receipts under the VAT Act (b)
Tax period from _____ to _____
Name of assessee _____
Address _____

(a) Payments under the VAT Act

(i) Advance payment of VAT

(ii) Deposit of demand

(1) VAT

(2) Penalty

(3) Interest

(4) Other sum

Total (a) (ii)

(iii) Other fee

Please describe _____

Total (a) = (i)+(ii)+(iii)

(b) Other Payments

(i) Fines/Penalties and interest

(ii) Security

(iii) Miscellaneous Payments

(Please describe)

Total (b)

Grand Total (In figures)

Rupees.....

(In words)

Rupees.....

Date.....

For use in Bank/Treasury only: -

- 1. Number of Challan
- 2. Number of entry in VAT Receipts Register
- 3. Date of entry in VAT Receipts Register

Please receive and grant receipt

Bank/ Treasury
Stamp

Bank/Treasury
Accountant

Bank Manager/Treasury
/ Sub-Treasury Officer

This form is in Five Parts. PART I (to be retained in the Treasury), Part II (to be sent to the Accountant General), part III (to be sent to the treasury or authorized officer), part IV (to be given to the depositor for passing on to the assessing authority) and Part V (to be given to the depositor for retention by him).